न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 88/2017

1 संजय कुमार पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद बियाला जाति ब्राह्मण निवासी चौहान का कुंआ के पास फतेहपुर हाल आबाद 48/1 रोजमेरी लेन प्लेट नम्बर 404 चौथा तल्ला हावड़ा कोलकत्ता पश्चिम बंगाल – 711101

अपीलांट्स

बनाम

1 बद्रीप्रसाद पुत्र श्री किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी सर्राफ धर्मशाला के पास वार्ड नम्बर 12, कस्बा फतेहपुर जिला सीकर। मृतक
1/1 गोपाल उम्र 60 साल पुत्र स्व. बद्रीप्रसाद
1/2 पवन कुमार उम्र 57 साल पुत्र स्व. बद्रीप्रसाद
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सर्राफ धर्मशाला के पास वार्ड नम्बर 12, कस्बा फतेहपुर जिला सीकर।
2 दामोदर प्रसाद बियाला पुत्र श्री राजकुमार बियाला जाति ब्राह्मण निवासी सर्राफ धर्मशाला के पास वार्ड नम्बर 12, कस्बा फतेहपुर जिला सीकर हाल आबाद ग्राउण्ड फ्लोर त्रिवेणी अपार्टमेंट लालबाबा कॉलोनी के पीछे बैलूर (पश्चिम बंगाल)
3 मुरारीलाल पुत्र श्री रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी सर्राफ धर्मशाला के पास वार्ड नम्बर 12, कस्बा फतेहपुर जिला सीकर हाल आबद निवासी फ्लेट नम्बर 27 द्वितीय मंजील दिव्य ज्योती हाउसिंग सोसायटी सिद्धार्थ नगर एस.वी. रोड़ गोरेगांव (वेस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र।
4 सावित्री बेवा महावीर प्रसाद
5 शारदा देवी
6 चंदा देवी
7 धापा देवी
8 दुर्गा देवी
9 सरोज देवी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 विधा देवी समस्त पुत्रिया महावीर प्रसाद बियाला जाति ब्राह्मण निवासीगण चौहान का कुंआ के पास फतेहपुर हाल आबाद 48/1रोजमेरी लेन फ्लेट नम्बर 404 चौथा तल्ला हावड़ा कोलकत्ता पश्चिम बंगाल 711101
11 रामावतार पुत्र श्री महावीर प्रसाद बियाला जाति ब्राह्मण निवासीगण चौहान का कुंआ के पास फतेहपुर हाल आबाद 48/1रोजमेरी लेन फ्लेट नम्बर 404 चौथा तल्ला हावड़ा कोलकत्ता पश्चिम बंगाल 711101
12 हल्का पटवारी पटवार हल्का फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
13 तहसीलदार महोदय फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.10.2017 मु.नं. 07/2015 उनवान बद्रीप्रसाद बनाम दामोदर प्रसाद आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

पीठासीन अधिकारी देवीका तोमर आरएएस

उपस्थिति :
1. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरीश शर्मा द्वितीय, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2015 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 719,719/1663, 720/1/1, 720/2/1 वाके कस्बा फतेहपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपील के खेत खसरा नम्बर 720/1/1 व 720/2/1 वाके कस्बा फतेहपुर में से होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 719 व 719/1663 में आने का रास्ता होना गलत रूप से बताया जबाबी रेस्पोडेन्टस संख्या 01 के खेत में आने का रास्ता हमेशा अपने खेत के पूर्वी तरफ से है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खेत के पूर्वी तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से पगडण्डी का रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खेत में हमेशा से रहा है। जिससे रेस्पोडेंड संख्या 01 हमेशा से आवागमन करता रहा है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त तथ्यों को छुपाकर तथा गलत रूप से अपील के खेत में रास्ता होने का कथन कर आवेदन पेश किया तथा विचारण न्यायालय के बिना अपीलान्ट को सुने तथा बिना कोई साक्ष्य निये निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट के विचारण न्यायालय के अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से वकालतनामा तो आवश्य प्रस्तुत किया किन्तु इसके पश्चात अपीलान्ट को आज तक मुकदमें के बारे में कोई सूचना अथवा मुकदमें कि स्टेज के बारे में नहीं बताया तथा ना ही हमारी ओर से जवाब तैयार किया ना ही अपीलान्ट को यह बताया कि प्रकरण में जवाब पेश करना है इस कारण वकील द्वारा अपीलान्ट को जवाब हेतु अथवा रचना हेतु और दस्तावेज पेश करने हेतु कोई सूचना ही दी इस कारण अपीलान्ट जवाब देही पेश नहीं हो सकी इस कारण उक्त निर्णय बिना कोई जवाब कोई जवाब साक्ष्य में पारित किया गया है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार फतेहपुर से रास्ते के संबंध में रिपोर्ट मांगी तहसीलदार फतेहपुर नें पटवारी हल्का को रिपोर्ट हेतु लिखा पटवारी हल्का ने मौके की रिपोर्ट अपनी मनमर्जी से बनाई तथा मौका देखने की सूचना अपीलान्ट को अथवा अन्य खातेदार के अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 11 को नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दी तथा बिना खातेदार को सूचना किये तथा बिना उसे सुने संख्या रिपोर्ट तैयार कर दी तथा खातेदार की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई इस कारण निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के वादग्रस्त भूमि की डी.एल.सी. की रिपोर्ट नही मंगवाई है तथा केवल मात्र पटवारी की एकल रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जब डी.एल.सी. रेट की रिपोर्ट तथा उसका मुल्यांकन किया जाना आवश्यक तथा आज्ञापक है। अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का खेत एन.एच. 65 के काफी पीछे पड़ता है तथा उसके खेत का रास्ता पूर्वी तरफ से पगडण्डी है फिर भी प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस संख्या 01 को रास्ता चाहिये तो पूर्वी तरफ स्थित कच्चे रास्तें में उसे रास्ता की मांग की जानी थी जबकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस ने एन.एच. 65 से रास्ता प्राप्त करने के बदनियती से उक्त तथ्य को छुपा कर उक्त आवेदन पेश किया इस कारण निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा ना ही जवाब देही तथा साक्ष्य प्रस्तुती का अवसर दिया इस कारण मनमर्जी से निर्णय पारित किया है इस कारण भी निर्णय किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2024(2) पेज 968 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 719,719/1663, 720/1/1, 720/2/1 वाके कस्बा फतेहपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय में कुल 11 अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से विचाराधीन निर्णय को चुनौती दी गई है। शेष अप्रार्थीगण की ओर से विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिये रजिस्टर्ड तामील करवाई गई है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। इसके उपरांत भी अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में

भू-प्रबंध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित होकर चाराजोही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदनकर्ता के पास रास्ते का अभाव है, रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना प्रकट है, वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। प्रस्तावित रास्त निकटतम दूरी का है। इसकी पुष्टि नजरी नक्शे के अवलोकन से होती है। विचारण न्यायालय के धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में प्रतिकर का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 719,719/1663, 720/1/1, 720/2/1 वाके कस्बा फतेहपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

विचारण न्यायालय में कुल 11 अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से विचाराधीन निर्णय को चुनौती दी गई है। शेष अप्रार्थीगण की ओर से विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिये रजिस्टर्ड तामील करवाई गई है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। इसके उपरांत भी अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही नहीं की गई है।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदनकर्ता के पास रास्ते का अभाव है, रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना प्रकट है, वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। प्रस्तावित रास्त निकटतम दूरी का है। इसकी पुष्टि नजरी नक्शे के अवलोकन से होती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय के धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में प्रतिकर का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर